राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकःप.8(ग)(17)नियम / डीएलबी / 18 / 4931 दिनांकः 8/02/18

परिपत्र

राजस्थान नगरपालिका (शहरी भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के अन्तर्गत स्वायत्त शासन विभाग के जारी आदेश क्रमांक 4836–5026 दिनांक 16.05.13 में 8 वर्ष की एकमुश्त लीज राशि जमा करने के संबंध में निम्न प्रावधान किया गया है:–

"राज्य की नगरीय निकायों में किसी भूमि / भूखण्ड का एकमुश्त लीज राशि जमा कराये जाने हेतु जयपुर / जोधपुर विकास प्राधिकरणो व आवासन मण्डलो के समान 8 वर्ष की एकमुश्त लीज राशि जमा कराये जाने पर संबंधित भूमि / भूखण्ड को लीज मुक्त किया जा सकेगा।"

राजस्थान नगर विकास न्यास (शहरी भूमि निष्पादन) नियम, 1974 में भी इसके समान ही प्रावधान है, जो निम्न है:–

"7.(4) Provided furtherthat the assessee may, if he so desires, deposit one time urban assessment or ground rent which would be equal to eight times of full yearly urban assessment, including the year in which the payment is made. Such a payment would exempt the assessee or transferee from further liability of payment of urban assessmenton the leased property."

उपरोक्त दोनो नियमो के प्रावधानो के तथ्यो को दृष्टिगत रखते हुए नगरीय निकायो को एकमुश्त लीज राशि वसूल करने के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि यदि लीजधारक वह ऐसी वान्छा करे, एकबारीय लीज निक्षिप्त करा सकेगा जो उस वर्ष, जिसमें संदाय किया जाता है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक लीज निर्धारण के आठ गुणा के बराबर होगा। ऐसा संदाय सम्पत्ति पर लीज के संदाय के अतिरिक्त दायित्व से लीजधारक को छूट प्रदान करेगा।

अतः समस्त नगरीय निकाय उक्तानुसार पालना करें।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकःप.8(ग)(17)नियम / डीएलबी / 18 / 4932-5347 दिनांकः 8/02/18
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय,स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर
03. महापौर / सभापति / अध्यक्ष नगर निगम / परिषद / पालिकायें समस्त राज0
04. आयुक्त / उपायुक्त / अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम / परिषद / पालिकायें समस्त राज0।
05. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
06. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग राजस्थान जयपुर
07. समस्त अधिकारी निदेशालय एवं उप निदेशक (क्षेत्रीय), समस्त राजस्थान
08. प्रोग्रामर, निदेशालय को नेट पर उपलब्ध करवाने हेतु।
09. सुरक्षित पत्रावली

(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी